



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092024-257253

CG-DL-E-19092024-257253

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3671]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2024/भाद्र 28, 1946

No. 3671]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024/BHADRA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2024

का.आ. 4010(अ).—राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 9 सितंबर, 1976 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 8 सितंबर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 794 (अ), के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरांत, नियंत्रक महालेखापरीक्षक को वित्तीय वर्ष 2024-2025 से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र (विधानमंडल रहित) प्रशासन के खातों को संकलित करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करती हैं।

2. इस आदेश के प्रयोजनार्थ, "वित्तीय वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) बारह महीनों की प्रत्येक अवधि अभिप्रेत है।

[फा. सं. 15 (24)-बी(आरएवंसी)/2024]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 19th September, 2024

S.O. 4010(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971) and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) issued vide notification number G.S.R.794 (E), dated the 8th September, 1976 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th September, 1976, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General, hereby relieves the Comptroller and Auditor-General from the responsibility for compiling the accounts of the Administration of the Union territory of Chandigarh (without Legislature), with effect from the financial year 2024-2025.

2. For the purposes of this Order, the expression “financial year” means each period of twelve months commencing from the 1st day of April and ending on the 31st day of March (both days inclusive).

[F. No. 15 (24)-B(R&C)/2024]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.